

संख्या : ४७० / १-१०-२०१२-१२(५२) / २०१२

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू०,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-१०

विषय: वर्ष 2012 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४२०/दै०आ०लि०-१२, दिनांक ०१ दिसम्बर, २०१२ एवं पत्र संख्या-४५९/दै०आ०लि०-१३ दिनांक २२ जनवरी, २०१३ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०१२ में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु रु० ५०.०० लाख तक के २२ परियोजनाओं/कार्यों हेतु मांगी गई धनराशि रु० ४,२५,३५,२००/- के सापेक्ष ५० निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु० २,१२,६७,६००/- (रुपये दो करोड़ बारह लाख सदसठ हजार छः सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।



क्रमांक	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	मांगी गयी धनराशि (रुपये में)	अवमुक्त धनराशि (रुपये में)
1	प्रा०ख०,ल००नि० वि०,पीलीभीत	०७	१,२६,६९,०००	६३,३४,५००
2	निर्माणखण्ड-१,ल०० नि०वि०,पीलीभीत	१०	२,१४,०६,०००	१,०७०,३००
3	पी०ए०जी०ए०स० वाई०,पीलीभीत	०३	३३,३५,२००	१६६७६००
4	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,पीलीभीत	०१	३,८०,०००	१,९०,०००
5	शारदा सागर खण्ड,पीलीभीत	०१	४७,४५,०००	२३,७२,५००
		कुल योग	४,२५,३५,२००	२,१२,६७,६००

- 2- इस स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. वर्ष 2012 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 शा०स०-1349/1-10-सं 2012-रा०-10-12(73)/2008 दिनांक-17 मई, 2012 के अनुसार किया जायेगा।
5. वर्ष 2012 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक

20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रेमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।


9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वर ल०)
सचिव एवं राहत आयुक्त।


संख्या : ५७०८०/ १-१०-२०१२-१२(३३) / २०१२ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
 - 2— आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली।
 - 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - ✓5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
 - 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पीलीभीत।
 - 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
-
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
 - 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
 - 10— गार्ड फाइल।

आशासे,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।
